UPET010041872024

न्यायालय : विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट एटा।

उपस्थित–वीरभद्र ''एच0जे0एस0'' **JO CODE U P 6087**

जमानत आवेदन सं0 1665/2024

1–बाबू पुत्र श्री रहीसउददीन निवासी मौहल्ला मारहरा दरवाजा एटा, थाना कोतवाली नगर जिला एटा। ———— अभियुक्त

प्रति
उ0प्र0 राज्य

धारा–379,504,506, भा0दं0सं0 व
3(2) 5ए एस.सी.एस.टी.एक्ट
अ0सं0–761/2020
थाना–कोतवाली नगर ,जिला एटा।

20.08.2024

आदेश

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त बाबू की ओर से अ0सं0–761/2020 अर्न्तगत धारा–379,504,506, भा0दं0सं0 व 3(2)5ए एस. सी.एस.टी.एक्ट थाना कोतवाली नगर जिला एटा के अभियोग में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आज तक अन्तरिम जमानत पर था। उसने आज न्यायालय में समपर्ण किया है।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी दिनांक 12.08.2020 की रात्रि को प्रार्थी अपने घर पर अपनी भैंस जो सात दिन पूर्व पडिया से ब्याही थी के पास उसकी सुरक्षा में लेटा था उसी रोज रात्रि करीब 9.30 बजे मुकीम पुत्र हकीम व बाबू पुत्र रहीसुदद्ीन निवासी मौहल्ला मारहरा दरवाजा थाना कोतवाली नगर प्रार्थी के घर पर आये तथा उन्होनें प्रार्थी से एक भैंस व पडरे को खरीदने की बात कहीं। प्रार्थी ने अपनी भैंस व पडरे को बेचने से मना कर दिया। इसी बीच रात्रि में वारिश होने के कारण प्रार्थी भैंस के पास से अपने घर उठकर चला गया। वारिश बंद होने पर प्रार्थी अपनी भैंस के पास आया तो वहॉ से भैंस व पड़िया गायब थी। प्रार्थी उसी रात करीब 3 बजे तक मुकीम के घर पर मौहल्ले के सुनील व सोवरन पुत्र छोटें एवं अपने मामा नत्थन पुत्र सिंहवाज निवासी मौहल्ला कायस्थान कस्बा व थाना मारहरा जिला एटा को लेकर गया तो प्रार्थी की भैंस व पड़िया वहॉ

ार पर मौजूद मिले। तब प्रार्थी ने अपने साथ गये लोगों के सामने उक्त मुकीम व बाबू से चोरी की नियत से छिपकर भैंस व पड़िया को खोलकर लाने के बारे में पूँछा तो उक्त लोगों ने प्रार्थी व उसके साथ गये लोगों को मॉ बहिन की बुरी बुरी जातिसूचक गालियां देते हुए एवं तमंचे दिखाते हुए कहा कि नटेला भाग जा वरना जान से मार देगें। प्रार्थी व उसके साथ गये लोग भय के कारण अपने घर चले आये।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त को झूंठा रंजिशन फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से रायमशविरा करके लिखायी गयी है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियोजन पक्ष ने जमानत का घोर विरोध किया तथा तर्क किया कि एक अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की भैंस व पड़िया को चोरी की नियत से ले जाकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी गयी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत निरस्त करने का निवेदन किया गया।

मैनें अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियुक्त इसके पूर्व अन्तरिम जमानत पर रहा है। उसने आज न्यायालय में समपर्ण किया है। अन्तरिम जमानत के दौरान अभियुक्त द्वारा कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। मात्र धारा 379,504,506 भा0दं0सं0 तथा साथ ही धारा–3(2) 5ए एस. सी.एस.टी.एक्ट का भी आरोपपत्र दाखिल किया गया है। कथित रूप से वादी मुकदमा की भैंस चोरी करने का आरोप है। सह अभियुक्त मुकीम की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त की समान भूमिका बतायी गयी है। प्रथक व विशिष्टि भूमिका नहीं बतायी गयी है। दौरान विचारण अभियुक्त को गिरफतार नहीं किया गया है। वादी की ओर से कोई विरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना दौरान विचारण प्रार्थी/अभियुक्त को सशर्त रूप से जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदुनसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अभियुक्त बाबू की जमानत इस मामले में स्वीकार की जाती है। अभियुक्त/आवेदक की ओर से 50,000/–(पचास हजार रूपये) का निजी बन्धपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर इस

आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है।

1— आवदेक/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा, और नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आता रहेगा,तथा विचारण में सहयोग करेंगा।

2— साक्षीगण के न्यायालय आने पर अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन नहीं दिया जायेगा और वाद के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय का सहयोग करेगें तथा विफल रहने पर उनकी जमानत निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(वीरभद्र)

विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी.(पी.ए.) एक्ट

एटा।

20.08.2024

Digitally signed by VEER BHADRA
Date: 2024.08.20 16:45:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court